

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-46/2019-20

**United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch**

बनाम्

**M/s Gopal General Store**

—: आदेश :-

23.12.2020

प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Balidih, Bokaro के द्वारा धारा-14 (1 and 2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी M/s Gopal General Store प्र० श्री गोपाल प्रसाद सिंह पिता श्री राम बदन सिंह, शांतिनगर नियर सोलागीडीह तालाब, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Balidih, Bokaro की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति दर्ज कर बैंक का पक्ष रखते हुए कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (1. Hypothecation of stock of raw material, finished goods, Stores spares and Book Debts and vehicle financed. 2.) All the part and parcel of the property consisting of land and the structures. Plant & Machineries, raw materials, finished goods etc thereon:-Equitable Mortgage of Land/Structure in the name of Sri Gopal Prasad Singh Plot No.- 221, Khata No.- 125, Mauza Bhawanipur, Solagidih, Chas Thana No. 52, Deed No. 6568/6445, dated-12.10.1992, Area-2.5 decimals.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रूपये 7,82,000.00 (सात लाख बिरासी हजार) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1 and 2) के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी के बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इस हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।


द्वितीय पक्ष के द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करते हुए जबाब दाखिल करने हेतु समय आवेदन दाखिल किया गया है।


दोनों पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि द्वितीय पक्ष के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी के द्वारा स्पष्ट कारण का उल्लेख किये बिना सिर्फ समय का माँग किया जाना, उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Balidih, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

  
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी  
बोकारो।

  
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी  
बोकारो।